

सोनम बनाम दामोदर

03/2023 (2023/26)

निर्णय दिनांक: 11/11/2024

पश्चात् नामांतकरण पेश करने का कारण बताया है। अपील के गुणावगुण पर विचार करने से पहले मियाद का प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर मियाद अधिनियम धारा 5 को अस्वीकार किया जाता है। दुसरा यह भी है कि विवादित भूमि से संबंधित एक अन्य दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है, जब घोषणा या विभाजन का वाद विचाराधीन है तो नामांतकरण अपील पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। हक अधिकार घोषणा के दावे में निर्धारित होते हैं। अतः

आदेश है कि

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील विरुद्ध नामान्तकरण विरासत नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 06.07.2015 ग्राम पंचायत टहटडा तहसील बस्सी पर अपील नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

सत्यमेव जयते

बस्सी, जयपुर ग्रामीण (रा.ज.)